D. C. (South)

रिजस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003—05

थारत सरकार

REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA

Relhi



राजापद

i Gazette

1284/cesh 18/5/11 Selves

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

Date. 25 (05) W. A. South. New York

सं. 10] No. 10] दिल्ली, मार्च 4—मार्च 10, 2011, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 13-फाल्गुन 19, 1932

DELHI, MARCH 4-MARCH 10, 2011, THURSDAY/PHALGUNA 13-PHALGUNA 19, 1932

[रा.स.स.क्षेदि. सं 293, 296] [N.C.T.D. No. 293, 296]

भाग—IV PART-IV

भाग-I में सिम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 मार्च, 2011

सं. फा. 4/3/2003/गृह (सामान्य)647(i).—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं यू.-11011/2/74-यू.टी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स अधिकारी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (उत्तरी पश्चिमी जिला) को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसकी कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 4/3/2003/गृह (सामान्य)647(ii).—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं यू-11011/2/74-यूटी.एल. के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 907 DG/2011

1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री के. डी. डोगरा, दानिक्स अधिकारी, अतिरिक्त जिला मिजिस्ट्रेट (उत्तरी पश्चिमी जिला) को जो वर्तमान में कार्यकारी मिजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हैं को दिल्ली महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं, या अगले आदेशों तक इसमें, जो भी पहले हो, अतिरिक्त जिला मिजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर,

आर. चोपडा़. संयुक्त सचिव, (गृह)

HOME (GENERAL) DEPARTMENT


NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th March, 2011

No. F. 4/3/2003-HOME(G)/647(i).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of

24/5

SIMCHO



क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्रेटवैल्यू प्रोजेक्ट्स इण्डिया लि., 58ए/4, सैनिक फार्म्स, दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 95,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 50,001 से 10,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 9,500 (रुपये नौ हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक अधिकारी के आदेश से,

आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F.No. 10(1673)/COS(HQ)/Cons.Duty/9557.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899

(No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Greatvalue Projects India Ltd., 58A/4, Sainik Farms, Delhi-110062, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 9,500 (Rs. Nine Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 95,00,000 for issue of Equity Share bearing distinctive No. 50,001 to 10,00,000 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority of Govt. National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)

the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive Magistrate in the Metropolitan Area of Delhi upon Shri K. D. Dogra, DANICS Officer presently working as A.D.M. (North-West District), Delhi till he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

No. F. 4/3/2003-HOME(G)/647(ii).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. U-11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to delegate the powers of Executive Magistrate in the Metropolitan Area of Delhi upon Shri K. D. Dogra, DANICS Officer presently working as A.D.M. (North-West District), Delhi till he holds the present post or till further orders, whichever is earlier.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Dehi,

R. CHOPRA, Jt. Secy. (Home)

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 1 मार्च, 2011

सं. फा. 10 (1648)/मु, स.(मुख्या.)/स.शू./9255.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. श्रेया डवेलर्स प्रा. लि., 124, ए.जी.सी.आर. ऐन्कलेव, दिल्ली-110092, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,00,160 मूल्य के इक्विटी और प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 10001 से 10852 और 1 से 45148 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 1st March, 2011

F. No. 10(1648)/COS(HQ)/Cons. Duty/9255.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India,

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Shreya Dwellers Pvt. Ltd., 124, AGCR Enclave, Delhi-110092, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 50,001 (Rs. Fifty Thousand One) only on the aggregate value of shares of ₹ 5,00,00,160 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 10001 to 10852 and preference share bearing distinctive No.1 to 45148 to be issued by the said company.

दिल्ली, 4 मार्च, 2011

फा. सं. 10 (1672)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./9337.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मै. आईएफसीआई लि., आईएफसीआई टावर, 61 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,22,88,25,000 (रुपये 3,22,68,25,000 नन बैंकिंग कं. के लिए एवम् रुपये 20,00,000 बैंकिंग कं. के लिए) मूल्य के बोण्डस जो कि प्रोमिशरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 2011005695 से 2011006603 और 01 से 627585 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 32,27,225 (रुपए बत्तीस लाख सत्ताइस हजार दो सो पच्चीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 4th March, 2011

F. No. 10(1672)/COS(HQ)/Cons. Duty/10/9337.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. IFCI Limited, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019. shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 32,27,225 (Rs. Thirty Two Lakh Twenty Seven Thousand Two Hundred Twenty Five) only on the aggregate value of shares of ₹3,22,88,25,000 (₹3,22,68,25,000 for non-banking Co. &₹20,00,000 for banking Co.) for issue of bonds in the nature of promissory note bearing distinctive Nos. 2011005695 to 2011006603 and 01 to 627585 to be issued by the said company.

दिल्ली, 7 मार्च, 2011

फा. सं. 10 (1676)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./9422.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी; 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं

ाक सर्वश्री केरिफोर इण्डिया मास्टर फ्रैन्चाइज कम्पनी प्रा. लि., 216, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्ट्रेट, फोज-III, दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹12,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,73,15,001 से 3,93,15,000 तक है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,20,000 (रुपए एक लाख बीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 7th March, 2011

F. No. 10(1676)/COS(HQ)/Cons. Duty/9422.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Carrefour India Master Franchise Co. Pvt. Ltd., 216, Okhla Industrial Estate, Phase-III, Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,20,000 (Rs. One Lakh Twenty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹12,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 2,73,15,001 to 3,93,15,00C to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1677)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./9423.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री केरिफोर डब्ल्यू सी एण्ड सी इण्डिया प्रा. लि., 216, ओखला इण्डस्ट्रीयल इस्ट्रेट, फेज-III, दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 43,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,73,15,001 से 19,03,15,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,30,000 (रुपए चार लाख तीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1677)/COS(HQ)/Cons. Duty/9423.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Carrefour WC & C India Pvt. Ltd., 216, Okhla Industrial Estate, Phase-III, Delhi-110020, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,30,000 (Rs. Four Lakh Thirty Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 43,00,00,000 for issue of equity shares bearing distinctive No. 14,73,15,001 to 19,03,15,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1647)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./9426.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एच-डी मोटर कम्पनी इण्डिया प्रा. लि., 1105, अशोका इस्टेट, 24, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 12,59,98,870 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या एन-21,82,260 से एन-1,47,82,147 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹1,25,999 (रुपए एक लाख पच्चीस हजार नौ सौ निन्यानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1647)/COS(HQ)/Cons. Duty/9426.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. H-D Motor Company India Pvt. Ltd., 1105, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,25,999 (Rs. One Lakh Twenty Five Thousand Nine Hundred Ninety Nine) only on the aggregate value of shares of ₹ 12,59,98,870 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. N-21,82,260 to N-1,47,82,147 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1646)/मु. स.(मुख्या.)/स.शु./9427.-गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री करीम होटल्स प्रा. लि., 16, गली कबाबियान, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 18,72,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1249 से 19968 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,872 (रुपए एक हजार आठ सौ बहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1646)/COS(HQ)/Cons. Duty/9427.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Karim Hotels Private Limited., 16, Gali Kababiyan, Jama Masjid, Delhi-110006, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 1,872 (Rs. One Thousand Eight Hundred Seventy Two) only on the aggregate value of shares of ₹. 18,72,000 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. 1249 to 19968 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1650)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./9495.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री थ्री सी ग्रीन डवलपर्स प्रा. लि., सी-23, ग्रेटर कैलाश
ऐन्कलेव, पार्ट-1, नई दिल्ली-110048, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹
1,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों बिनकी पृथक संख्या 01 से 10,000
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1650)/COS(HQ)/Cons.Duty/9495.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Three C Green Developers Pvt. Ltd., C-23, Greater Kailash Enclave, Part-I, New Delhi-110048, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rs. One Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for issue of Equity Share bearing distinctive No. 01 to 10,000 to be issued by the said company.

दिल्ली, 8 मार्च, 2011

फा. सं. 10 (1643) मु.स. (मुख्या) स.शू. /9505.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री अरकाडिन कनफरइण्डिया प्रा. लि., 16, बंगलो रोड,
कमला नगर, नई दिल्ली-110007, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 1,08,00,034 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या ए-66,001
से ए-78,375 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,801 (रुपये दस
हजार आठ सौ एक) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th March, 2011

F.No. 10(1643)/COS(HQ)/Cons.Duty/9505.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Arkadin conferindia Pvt. Ltd., 16, Bunglow Road, Kamla Nagar,

New Delhi-110007, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 10,801 (Rs. Ten Thousand Eight Hundred One) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,08,00,034 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. A-66001 to A-78375 to be issued by the said company.

दिल्ली, 9 मार्च, 2011

फा. सं. 10 (1670) मु.स. (मुख्या) त्स.शु. /9529.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री क्लाइड बर्जमेन इण्डिया प्रा. लि., बीके हाऊस, एल-8 ग्रीन पार्क एक्सटेन्सन, नई दिल्ली-110016, द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 4,30,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 19,10,001 से 62,10,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 43,000 (रुपये तैंतालिस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 9th March, 2011

F.No. 10(1670)/COS(HQ)/Cons.Duty/9529.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Clyde Bergemann India Pvt. Ltd., Beekay House, L-8 Green Park Extension, New Delhi-110016, shall pay a consolidated stamp duty of ₹43,000 (Rs. Forty Three Thousand) only on the aggregate value of shares of ₹4,30,00,000 for issue of Equity Shares bearing distinctive No. 19,10,001 to 62,10,000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1671) मु.स. (मुख्या) स.शू. /9553.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री टेरेक्स इण्डिया प्रा. लि., 108-110, प्रथम तल, नारायण
मंजिल, 23-बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए
जाने वाले ₹ 32,64,62,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 10,97,05,467 से 14,23,51,716 है, पर लगने वाले मुद्रांक
शुल्क ₹ 3,26,463 (रुपये तीन लाख छब्बीस हजार चार सौ तिरेसठ)
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

F.No. 10(1671)/COS(HQ)/Cons.Duty/9553.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Terex India Pvt. Ltd., 108-110, First Floor, Narain Manzil, 23-Barakhamba Road, New Delhi-110001, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,26,463 (Rs. Three Lakh Twenty Six Thousand Four Hundred Sixty Three) only on the aggregate value of shares of ₹ 32,64,62,500 for issue of Equity Share bearing distinctive No. 10,97,05,467 to 14,23,51,716 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1642)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./9554.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री शेयरवाले सिक्युरिटिज प्रा. लि., प्लॉट नं. 7, 201-202,
वर्द्धमान प्लाजा, गुजरावाला टाउन, दिल्ली-110009, द्वारा जारी किए
जाने वाले ₹ 2,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या
001 से 20000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 200 (रुपये दो
सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

F.No. 10(1642)/COS(HQ)/Cons.Duty/9554.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sharewale Securities Pvt. Ltd., Plot No.7, 201-202, Vardhman Plaza, Gujrawala Town, Delhi-110009, shall pay a consolidated stamp duty of ₹200 (Rs. Two Hundred) only on the aggregate value of shares of ₹2,00,000 for issue of equity Share bearing distinctive No. 001 to 20000 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1599)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./9555.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री नेक्स्ट जेन पेपर सोल्युशन प्रा. लि., बी-34, बिजली
अपार्टमेन्ट्स, गौतम मोटर्स के सामने, जी. टी. रोड, दिल्ली-110009,
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,45,94,728 मूल्य के इक्विटी शेयरों

जिनकी पृथक संख्या 00,00,001 से 4,41,825 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 14,595 (रुपये चौदह हजार पाँच सौ पच्चानवे) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1599)/COS(HQ)/Cons.Duty/9555.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Next Gen Paper Solutions Pvt. Ltd., B-34, Bijli Apartments, Opp. Gautam Motors, G.T. Road, Delhi-110009, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 14,595 (Rs. Fourteen Thousand Five Hundred Ninety Five) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,45,94,728 for equity Share certificate with distinctive No. 00,00,001 to 4,41,825 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1668)/मु.स. (मुख्या)/स.शू./9556.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ)
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क
अधिनयम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के
खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं
कि सर्वश्री कारजोनरेंट (इण्डिया) प्रा. लि., ई-4, झण्डेवालान एक्सटेंशन,
रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055, द्वारा जारी किए जाने वाले
₹ 36,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या 826091
से 36826090 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 3,60,000 (रुपये
तीन लाख साठ हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान
उक्त कम्पनी करेगी।

F.No. 10(1668)/COS(HQ)/Cons.Duty/9556.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Carzonrent (India) Pvt. Ltd., E-4, Jhandewalan Extension, Rani Jhansi Road, New Delhi-110055, shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 3,60,000 (Rs. Three Lakh SixtyThousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 36,00,00,000 for issue of preference Share bearing distinctive No. 826091 to 36826090 to be issued by the said company.

फा. सं. 10 (1673)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./9557.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी